

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़**अनवान**

1. जमनालाल पिता छोगालाल जाति सालवी आयु वरुस्क निवासी लुकडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

वादी

बनाम

1. नन्दा पिता छोगा मु० मोती जाति सालवी आयु वयस्क निवासी लुकडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
2. कालू पिता छोगा मु० देवा जाति सालवी आयु वयस्क निवासी लुकडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
3. कमला पुत्री छोगा पत्नि देवा जाति सालवी आयु वयस्क निवासी लुकडी हाल निवासी उण्डवा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
4. अण्छी पुत्री छोगा पत्नि भैरूलाल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी लुकडी हाल निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
5. सरजू पत्नि छोगा जाति सालवी आयु वयस्क निवासी लुकडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
6. भूमिधारी तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

प्रतिवादीगण

वादपत्र खातेदारी अधिकार की घोषण, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा :-

प्रकरण संख्या :- 099/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इमफिलात कतई रुबरु श्री आरएलशर्मा अधिवक्ता वादी श्री कैलाशचन्द्र सुखवाल अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मुताबिक राजीनामा मौजा लुकडी पटवार हल्का नेवरिया तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 105,115,116,117,118,119,120,260,265,266,267,268,269, 104/2,107/2,259,264 का छोगा पिता नोला के बजाय जमनालाल पिता छोगालाल जाति सालवी निवासी लुकडी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं मौजा नेवरिया पटवार हल्का नेवरिया तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 2511/3 का छोगा पिता नोला के बजाय जमनालाल पिता छोगालाल जाति सालवी निवासी लुकडी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान में दर्ज छोगा पिता नोला सालवी निवासी लुकडी का नाम हटाया जावे। तदनुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किया जावे शेष अंकन बदस्तूर किया जावे। पचा डिक्री जारी की जाती है। सर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।



(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

